

श्री  
राज  
राज

न्यायालय नं० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 356/18

सरकार

बनाम

श्री:

शमशेर सिंह पुत्र  
शूर सिंह रामपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 9/2/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री शूर सिंह जाति राजपूत निवासी कोठड़ा तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रवि / ~~खरीफ~~ में ग्राम कोठड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 326 रकबा 160m<sup>2</sup> किस्म गैन्सु रास्ता भूमि से 160m<sup>2</sup> रकबा पर अनाधिकृत रूप से पुला कब्जा कर अतिचार कर लिया है।  
मकान

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.03 का 50 गुना 2 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

शमशेर सिंह  
नायब तहसीलदार  
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ को देना नं० 103 पर  
वर्ष 2017-18  
की राशि 2 की  
की जमा कावको 2  
दिनांक 9/2/18 तहसील कोठड़ा लेखाकार  
तहसील-महवा